न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 69 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 15–11–2018

1–फतेहलाल पुत्र रामनारायण जाति कीर निवासी मण्डावर तह0 टोंक जिला–टोंक राज0
2–गणपत पुत्र रामनारायण जाति कीर निवासी मण्डावर तह0 टोंक जिला–टोंक राज0
–अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 5–9–2018

उपस्थिति : (1) श्री राजेश । गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री सै0 मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 25–11–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार
टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 5–9–2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर
3592 / 193 रकबा 3 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर तिल व बाजरा की
फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिकमण मानकर भूमि से बेदखल करने 195 / रूपये की
पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश
दिया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को
खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए
सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक
अपीलान्ट्स अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर
दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक
की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने प्रस्तुत अपील में अंकित किया कि अपीलान्ट्स
को तहसीलदार टोंक द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर
अपीलान्ट्स की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स
को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय निर्णय
पारित करने में गलती की है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध कब्जे बाबत गलत
रूप से रिपोर्ट की है। पश्चातवर्ती अतिकमण के सम्बन्ध में को [illegible] पटवारी हल्का
द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाई है, रिपोर्ट किस तारीख [illegible] का अंकन
भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी [illegible] चरागाह भूमि पर
अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलान्ट्स का किसी चरागाह भूमि से सम्बन्ध है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

उसके उपरान्त भी उक्त आदेश पारित कर कानूनी भूल की है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट्स को निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम 12–11–2018 को प्राप्त हुई, उसके उपरान्त अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निर्णण की नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 13–11–2018 को प्राप्त होने पर आज अपीलान्ट्स बिना किसी देरी के उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से अपीलान्ट्स दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–9–2018 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक द्वारा अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट्स को तहसीलदार टोंक द्वारा नोटिस जारी किया है। बावजूद तामील अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट्स के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। सरकारी पक्ष की ओर से पटवारी हल्का को सुना जाकर व उसके बयान दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि 3592/193 रकबा 3 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर तिल व बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट्स ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 552 दिनांक 9–1–2018 से इसी खसरा नम्बर में 2 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिकमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि 3592/193 रकबा 3 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर तिल व बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट्स ने उक्त विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिकगमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 552 दिनांक 9–1–2018 से इसी खसरा नम्बर में 2 बीघा भूमि पर कब्जा करने पर बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिकमी होना माना गया है। अपीलान्ट्स चरागाह भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निणय म हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 5–9–2018 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:53:37 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
राजस्थान